



Ref: 251/2021
Dt-28-7-2021

प्रिय सम्राट जी,

विषय:-पंचायती राज विभाग के अधीन ग्राम पंचायत के वार्डों में अतिवृष्टि से हुये जलजमाव की निकासी एवं क्षतिग्रस्त गली/सड़कों को Motorable बनाने के संबंध में।

पंचायती राज विभाग द्वारा टोलों/बसावटों/वार्डों में गलियों/सड़कों एवं नाली निर्माण का कार्य त्रिस्तरीय पंचायती राज द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है जो प्रशंसनीय है।

राज्य में पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग एवं नगर विकास एवं आवास विभाग नगर निकाय के माध्यम से अपने-अपने पथों में अतिवृष्टि के कारण हुये जल जमाव के निष्कासन, रख-रखाव एवं मरम्मति का कार्य कर Motorable बनाने लायक आवश्यकतानुसार किया जाता है।

प्रायः गाँवों में बरसात के दिनों में गलियों में जल जमाव के निकास एवं क्षतिग्रस्त ग्राम पंचायतों की सड़कों के रख-रखाव एवं मरम्मति कार्य न होने से ग्रामीणों को परेशानी उठानी पड़ रही है। गाँव, पंचायत एवं वार्ड की गली के क्षतिग्रस्त सड़कों के मरम्मति कार्य अथवा Motorable बनाने लायक किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। हालात यह है कि गाँवों में जलजमाव से गंदगी तथा गलियों की क्षतिग्रस्त सड़कों से आम जीवन अस्त-व्यस्त हो जाता है।

जरूरत इस बात की है कि पंचायती राज विभाग टोलों/बसावटों/वार्डों में अतिवृष्टि से हुये जल जमाव के निष्कासन एवं क्षतिग्रस्त ग्रामीण सड़कों को चलने लायक यानि Motorable बनाने के लिए एक गाइड लाईन जारी करे।

अतः अनुरोध है कि टोलों/बसावटों/वार्डों में अतिवृष्टि से जल जमाव के निष्कासन एवं गलियों/क्षतिग्रस्त सड़कों को Motorable बनाने हेतु गाइड लाईन जारी करना चाहेंगे।

शुभकामनाओं के साथ!

भवदीय

Nitish Mishra
(नीतीश मिश्रा) 28-7-21

सेवा में,

श्री सम्राट चौधरी जी,
माननीय मंत्री,
पंचायती राज विभाग,
बिहार सरकार, पटना।